राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

प्रभुदयाल बनाम कजोड

तारीख हुक्म	360/2024 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता अपीलार्थी पस्थित | रेस्पो. बाद तामील अनुपस्थित | अधिवक्ता अपीलार्थी की आंशिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली निरन्तर बहस हेतु दिनांक 13/04/2025 को पेश हो | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
13/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित | रेस्पो. बाद तामील अनुपस्थित | अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस पेश कर लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया | अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिज की जाती है | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 15/04/2026 को पेश हो | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
15/04/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1, 2 व 7 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 21/09/2022 पारित करते हुये तहसीलदार सांगानेर को वादग्रस्त आराजी खाता संख्या नथा 429 पुराना 356 के खसरा नंबर 4488 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4489 रकबा 0.3200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4490 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4491 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4492 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4493 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4494 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4495 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4496 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4497 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, खसरा नंबर '98 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4499 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4500 रकबा 0.3200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4504 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4505 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4506 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4507 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4508 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4509 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4510 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4511 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4512 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4513 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4514 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4515 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4516 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4517 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4518 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4519 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4520 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4521 रकबा 0.1300 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	360/2024 प्रभुदयाल बनाम कजोड हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हैक्टेयर, खसरा नंबर 4522 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4523 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4525 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, कुल किता 34 कुल रकबा 5.7200 हैक्टेयर स्थित राजस्व ग्राम बगरूकलां पटवार क्षेत्र बगरूकलां ए व बी, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बगरूकलां, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित का विधि सम्मत बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स उभयपक्ष की उपस्थिति में तकासमा किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये | जिसकी पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 18/03/2024 पारित कर दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है | जिस पर रेस्पो. बाद तामील अनुपस्थित रहे एवं अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस पेश कर लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली मय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का अवलोकन किये जाने से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के माध्यम से किया गया विभाजन विधिसम्मत प्रतीत होता है | विधि अनुसार एवं खातेदार के काश्तकारी अधिकारों के मध्यनजर सहखातेदारान के मध्य विभाजन एक आवश्यक प्रक्रियां है, जिसे अपीलार्थी द्वारा उठाये गये तकनीकी बिन्दुओ के आधार पर निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नही होता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18/03/2024 यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाख़िल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 15/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर